न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या : 138/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/200

प्रार्थी:–

1. राधादेवी पत्नी स्व. वरदाजी
2. बाबुलाल पुत्र वरदाजी
   जातिगण गर्ग (गुरू) निवासी पाती तहसील रोहट जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. चुन्नीलाल पुत्र मोड़ाराम
2. गणपतलाल पुत्र मोड़ाराम
   जाति गर्ग (गुरू) निवासी पाती तहसील रोहट, जिला पाली।
3. ग्राम पंचायत चेण्डा, तहसील रोहट जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चेण्डा।

"पंचायत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री खंगारराम पटेल।

–: निर्णय :–

दिनांक : 13/04/2026

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत न्यायालय जिला कलक्टर, पाली के प्रकरण संख्या 49/2021 अनवान राधादेवी व अन्य बनाम चुन्नीलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 के विरूद्ध पेश की है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। मूल निगरानी प्रकरण संख्या 49/2021 तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद नोटिस तामिली असालतन वकालतन एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मूल निगरानी में ग्राम पंचायत ने प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि को शामिल करते हुये प्रश्नगत पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत ने प्रक्रिया की पालना किये बिना ही पट्टा जारी किया है। पंचायत समिति रोहट की जांच रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त पट्टा अप्रार्थी के कब्जे सुदा भूमि से अधिक भूमि पर जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है, वह पूर्णतया खाली है। उक्त पट्टा 5588 वर्गफीट क्षेत्रफल का जारी किया गया है। अप्रार्थी उक्त पट्टे की आड़ में मुझे बेदखल करने पर आतुर है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों से परे जाकर पट्टा जारी किया है। माननीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 08.02.2023 में विधि के तथ्यों की भूल की गई है। अतः उक्त पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुये पुर्नविलोकाधिन निर्णय दिनांक 08.02.2023 को अपास्त कर मूल निगरानी को पुनः नम्बर पर दर्ज करने का निवेदन किया है।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा मूल निगरानी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर पुनर्विलोकन

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

प्रार्थना–पत्र न्यायालय जिला कलक्टर, पाली के प्रकरण संख्या 49 / 2021 अनवान राधादेवी व अन्य बनाम चुन्नीलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र को मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किया कि मूल निगरानी में पारित निर्णय में विधिक तथ्यों की भूल की गई है, इस कारण जैर पुनर्विलोकन आदेश को पुनर्विलोकित कराने का अनुतोष चाहा है। पुनर्विलोकाधीन निर्णय पारित करते समय पीठासीन अधिकारी ने पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखा तथा प्रकरण में ग्राम पंचायत स्तर पर पट्टा जारी करने की प्रक्रिया के दौरान नियमों और प्रावधानों का उल्लंघन हुआ या नहीं, इसे सुनिश्चित करना आवश्यक था। इसी कारण से प्रकरण को विकास अधिकारी, पंचायत समिति रोहट को प्रतिप्रेषित किया गया। विकास अधिकारी को विशेष रूप से निर्देश दिये गए कि वे दो माह के भीतर विस्तृत जांच करे। इस जांच का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत स्तर पर किसी भी तरह का नियम उल्लंघन हुआ है और क्या सम्पूर्ण कार्यवाही में कोई गम्भीर अनियमितता पाई गई है, जो इस प्रक्रिया को दूषित कर दे। साथ ही, पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 20 वर्ष पुराने पट्टे को बिना किसी विस्तृत जांच के रद्द करना न्यायोचित नहीं होगा। इसका कारण यह है कि इतने लम्बे समय में पट्टाधारक के अधिकार सृजित हो चुके हैं। पट्टाधारक उस भूखण्ड पर अपने अधिकारों के आधार पर निर्भर है और उन्होनें जमीन पर निवेश भी किया है। इस स्थिति में सीधे पट्टा रद्द करना कानून और न्याय दोनों के दृष्टिकोण से सही नहीं माना जा सकता। इसलिये पुनर्विलोकाधीन निर्णय में यही निर्देश दिये गए कि विकास अधिकारी पूरी तरह से विस्तृत जांच करें और यदि जांच में गंभीर अनियमितता पाई जाती है, तो ही प्रकरण सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस पूरे दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नियमों का पालन हो, पट्टाधारक के अधिकार और निवेश की रक्षा हो तथा पुराने समय से स्थापित अधिकारो को बिना उचित जांच के खतरे में न डाला जाए। अंततः न्यायालय द्वारा मूल निगरानी में पारित निर्णय विधिसम्मत प्रतीत होता है, जो कि यह न्यायसंगत दृष्टिकोण एवं पट्टाधारक के अधिकारों का संतुलित संरक्षण करता है।

यह सुस्थापित विधि है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र में सफल होने के लिये नजरसानी निर्णय को देखने मात्र से त्रुटि प्रकट होना आवश्यक है। ऐसी त्रुटि जो कि स्वयं प्रमाणित नहीं है एवं जिसका निर्धारण तर्क संगत प्रक्रिया से करना होता है। वह अभिलेख को देखने मात्र से प्रकट होने वाली विधिक त्रुटि की परिधि में नहीं आती है। आलोच्य निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण अलग हो सकता है। किन्तु नजरसानी का आधार नहीं हो सकता। इस प्रकार पुनिर्विलोकन का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। पुनिर्विलोकन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नजरसानी एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती है तथा नजरसानी में केवल उस सीमा तक ही विचार किया जाना सम्भव है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में प्रावधान दिये गये है। नजरसानी का दायरा अत्यधिक समिति होता है और नजरसानी की आड़ में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। आर.आर.डी. 2010 पेज 254 प्रेमराज बनाम श्रीमती मनभर देवी में माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

(a) Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble High Court have held in several matters that the remedy of review is not an instrument for re-examination of the facts and is cannot be utilized as an instrument for rewriting the judgment. The scope of review does not provide an opportunity of an extra appeal. It has been held that even when judgment is erroneous the scope of review is not attracted.

(b) The scope of review is very limited and review is not the method of re-examination of a judgment. It even does not give any scope to the Court to sit in appeal over the judgment pronounced by the same Court. The scope permits only to correct the lawful mistakes which are apparent on the face of the record. Hon'ble Supreme court in Smt. Meera Bhanja vs Nirmala Kumari Chaudhary, AIR 1995 SC page 455 clearly held that the lawful error apparent on the face of the record should be such which should strike immediately looking at the face of the record and which does not require any long drawn process of reasoning or examination of law. The Court are not supposed to re-appreciate the evidence but only restirct themeselves for correction of the mistakes which are visible on the face of the record.

(c) The power of review can be exercised only for correction of patent error of law or fact which stares on the face wihout any elaborate argument being needed in establishing it. The error apparent on the face of the reocrd is one which is self-evident and does not require a process of reasoning and it is discinct from erroreous decision. Rehearing the matter or detecting an error in the earlier decision and then correcting the same do not fall within the ambit of the jurisdiction of review. Jurisdction of review cannot be used as an appellate jurisdiction in disguise. Hon'ble Supreme Court in State of Haryana vs Mohinder Singh, 2003(1) WLC (SC) page 499 considered the scope of review under Order 47 Rule 1 CPC which is reproduced here -

Civil Procedure Code O. 47 Rule 1- Scope. - Hearing of review does not mean giving one more chance for rehearing matter already disposed of - High court in heraing review as if it was rehearing whole petition overstepped its limits - Order of High Court set aside and original order restored.

इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2005 (1) पृष्ट 545 सुरेन्द कुमार वकील एवं अन्य बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश एवं अन्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – A point that has been heard and decided cannot from a ground for review even if assuming that the view taken in the judgment under review is erroneous. इसके अतिरिक्त ए.आई.आर 2014 एस.सी. (सप्ली.) 254 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया है कि – Mere disagreement with view expressed in judgment - or thant other view is possible - Not ground to invoke review jurisdiction

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

- Review jurisdiction can be exercised only when there is glaring omission or patent mistake or when a grave error has crept in judgment.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 1997 (8) एस.सी.सी. पृष्ठ 715 परसियन देवी व अन्य बनाम सुमित्री देवी व अन्य में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – Review Scope of Jurisdiction-Mistake or error apparent on the face of the record - Is one which is self - evident and does not require a process of reasonging - Distinct from erroneous decision - So rehearing the matter for detecting an error in the earlier decision and then correcting the same do not fall within the abmit of reivew jurisdiction - Review jurisdiction cannot be used as appellate jurisdiction.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 455 श्रीमती मीरा भान्जा बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि – Review - Error apparent on face of record - Means an error which strikes one on mere looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions. साथ ही 2005(1) आर.आर.टी. पेज 545 में माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि "that even if a erroneous view taken on a particular issue, it cannot be a ground for review.

यहां तक कि यदि निर्णय में लिया गया अभिमत गलत भी हो तो भी वह नजरसानी के लिए आधार नहीं हो सकता है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिव्यू पीटिशन संख्या 662/2001 बअनवान सुरेन्द्र कुमार वकील व अन्य बनाम चीफ एक्जीटिव आफिसर एम.पी. में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2004 में प्रतिपादित किया है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा समस्त अभिलेखों का सम्पूर्ण विवेचन करने के उपरान्त मूल प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया। उपरोक्त आलोक में आलोच्य निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का सम्यक् एवं विस्तृत विवेचन करने के उपरान्त ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया तर्कसंगत एवं विधिक बिन्दुओं पर आधारित है, जिसमें देखने मात्र से किसी प्रकार की विधिक त्रुटि अभिलेख पर प्रकट नहीं होती है एवं नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलोच्य निर्णय निरस्त करने का कोई समुचित एवं न्यायोचित कारण प्रकट नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली के प्रकरण संख्या 49/2021 अनवान राधादेवी व अन्य बनाम चुन्नीलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ मूल पत्रावली जिला अभिलेखागार, पाली में भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)